

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 21/2023 (2023/99) अनवान सुखाराम
बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128
भू-राजस्व अधिनियम

07-4-20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम
खाटावास पटवार मण्डल खुड़ाला तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर
233/1 रकबा 2.0234 हैक्टर की खातेदारी व खरीदसुदा कब्जा काशत कृषि भूमि
की तरमीम अनुसार मौका रिपोर्ट पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन
किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस
तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।
अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2024/271 दिनांक 26.06.
2024 के जरिये प्रकरण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की
गई। जिसके अनुसार प्रार्थी ग्राम खाटावास खसरा नम्बर 233/1 रकबा 2.0234
बीघा का खातेदार है जिसमें अप्रार्थी संख्या दो मौके पर पक्का मकान सहित
सपरिवार निवासरत होना बताया गया। खसरा नम्बर 233/1 में मौके पर कब्जा
काशत व मालिकाना हक को लेकर दोनो पक्षों के मध्य गहरा विवाद होना भी बताया
गया।

अतः इस परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थी का खसरा नम्बर 233/1 रकबा 2.
0234 हैक्टर पर वास्तविक कब्जा होना नहीं प्रतीत होता है। जिसके फलस्वरूप
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के तहत
पाषण्णीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखी